न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 100/2016/223 आर टी ए

1. धापी देवी पत्नि स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मनोहरलाल पुत्र स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. प्रवीणकुमार पुत्र स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. अमिता पुत्री स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजेश पुत्र स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सुखोकौर पत्नि दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बीरबल सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजकौर पत्नि हरविन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी लखुवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा अनवानी सुखोकौर आदि बनाम धापीदेवी आदि

उपस्थित :–

श्री संजय चांडक अधिवक्ता अपीलांटस

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–24.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 49 आरटीए पेश किया जिसमे अपीलांट/प्रतिवादी ने जवाब मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट सं. 1 के पति व

Web Copy - Not Official

अपीलांट सं. 2 ता 5 के पिता हंसराज के नाम से चक 15 एमओडी ए मे प.न. 41/263 कि.न. 19/2 मे 0.139, 20, 21, 22/0.759 है0 कुल 0.898 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांटस के पति/पिता ने अपनी उक्त भूमि का विनिमय रेस्पो0 के पिता अथवा रेस्पो. स्वयं के साथ कभी नही किया था और ना ही विनिमय की सहमति प्रदान की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित करने से पूर्व अहम बिन्दू यानि दोनो पक्षो की स्वतंत्र सहमति दिया जाना कानूनन अनिवार्य होता है, पर कतई गौर नही किया। रेस्पो0 के नाम किसी भी सक्षम अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से वादग्रस्त भूमि तबादले मे स्वीकृत नही की थी तथा रेस्पो0 अतिक्रमी धारा 88 व 49 के अन्तर्गत विपरीत कब्जा के आधार पर तबादले की आड मे कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नही होते है। कानून स्पष्ट प्रावधान प्रदत है कि तबादला दोनो पक्षो की सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति से एवं भूमि की समान किस्म होना तथा दोनो पक्षो की भूमि का ईकजोई होना तत्वो की पुर्ति होने के पश्चात तबादला स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकरण मे ना तो तहसीलदार ने दोना पक्षो की सहमति से तबादला किया है और ना ही विचारण न्यायालय के समक्ष दोनो पक्षो की सहमति हुई थी। इसके बावजूद भी तनकी सं. 1 का निर्णय कानूनी प्रावधानो की अनदेखी करके पारित किया गया है। जमाबंदी मे वादग्रस्त भूमि अपीलांटस के पिता/पति के नाम बतौर खातेदार चली आ रही है तो ऐसी दशा मे उस भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा वैध नही माना जा सकता है। लम्बे अरसे से अनाधिकृत कब्जे को किसी भी प्रकार से वैधता प्रदान नही की जा सकती है। रेस्पो0 को अपीलांटस की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करके डिग्गी बनाने जैसा कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार नही था। बिना उचित अधिकार हासिल किये वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि पर जो निर्माण किया है वह निर्माण विधि विरूद्ध हुआ होने के फलस्वरूप वादीगण/रेस्पो0 को न्यायहित मे अतिक्रमी घोषित किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांटस के पति/पिता की सहमति दिखलाकर जो निर्णय किया है वह विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 के नाम संयुक्त खाता मे चक 15 एमओडी ए के प.न. 41/263 कि.न. 1ता19/1, 23, 24, 25 की 5.427 है0, प.न. 40/264 कि.न. 13/2 ता 19/1, 23, 24, 25 की 2.176 है0 कुल 7.603 है0 मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलांटस के पति/पिता हंसराज के नाम से चक 15 एमओडी ए के प.न. 41/263 कि.न. 19/2/0.139, 20, 21, 22 की 0.898 है0 नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड है। हंसराज लगभग 20 वर्ष से पूर्व फौत हो चुका है। रेस्पो0 के पिता गुरदेवसिंह सन् 1992 मे फौत

हो चुके है। हंसराज की भूमि बीच मे पड़ती है और रेस्पो0 की भूमि से चिपती हुई है। इसी चक के प.न. 40/264 कि.न. 16/0.063, 17, 18, 19/1/0.076, 23 की 0.898 है0 भूमि रेस्पो0 के नाम है। इस भूमि का तबादला लगभग 30 वर्ष पूर्व रेस्पो0 के पिता गुरदेवसिंह व अपीलांटस के पति/पिता हंसराज ने भूमि का समेकन करने के उदेश्य व काश्त की सहूलियत के हिसाब से आपसी सहमति से विनिमय कर लिया था तब से लेकर आज तक वादग्रस्त भूमि हंसराज की नाम की भूमि पर गुरदेवसिंह एवं गुरदेवसिंह के फौत होने के बाद रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी आधार पर रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 49 आरटीए प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 49 आरटीए के तहत वादग्रस्त भूमि के विनिमय संबंधी अनुतोष चाहते हुए करीब 25–30 वर्ष पूर्व अनौपचारिक रूप से किये गये विनिमय से संबंधित भूमि की कब्जे के अनुसार घोषणा उभय पक्ष के नाम करवाने बाबत पेश किया गया। अपीलांट का तर्क है कि "अपीलांट सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 ता 5 के पिता हंसराज के नाम से चक 15 एमओडी ए मे प.न. 41/263 कि.न. 19/2 मे 0.139, 20, 21, 22/0.759 है0 कुल 0.898 है0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांटस के पति/पिता ने अपनी उक्त भूमि का विनिमय रेस्पो0 के पिता अथवा रेस्पो. स्वयं के साथ कभी नही किया था और ना ही विनिमय की सहमति प्रदान की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित करने से पूर्व अहम बिन्दू यानि दोनो पक्षो की स्वतंत्र सहमति दिया जाना कानूनन अनिवार्य होता है, पर कतई गौर नही किया। रेस्पो0 के नाम किसी भी सक्षम अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से वादग्रस्त भूमि तबादले मे स्वीकृत नही की थी तथा रेस्पो0 अतिक्रमी धारा 88 व 49 के अन्तर्गत विपरीत कब्जा के आधार पर तबादले की आड मे कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नही होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 49 के अन्तर्गत खातेदारो द्वारा धारित भूमि की चकबंदी/जोत के समेकन हेतु विनिमय स्वीकृत करने का अधिकार विचारण न्यायालय को दिया गया है। धारा 49 आरटीए के क्रियान्वयन हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 12 से 17 के अनुसार दूसरे काश्तकार की सहमति की आवश्यकता नही है अपितु उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियों का निस्तारण किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसलिये अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस मे अपीलांट की सहमति नही होने के कारण विनिमय विधिपूर्ण नही होने के तर्क को सही नही माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार करीब 25–30 वर्ष पूर्व अनौपचारिक रूप से किये गये विनिमय से संबंधित भूमि पर उभय पक्ष परस्पर काबिज होकर काश्त करते आये है तथा रेस्पो0 द्वारा डिग्गी एवं रिहायशी ढाणी का निर्माण किया गया है जिसका प्रतिरोध अपीलांट कभी नही करने के कारण उसकी मौन सहमति मानी जा सकती है। यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के कब्जा काश्त मे है, चूंकि अपीलांटस ने स्वयं ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा रेस्पो0 का है। अपीलांट का यह तथ्यं स्वीकार योग्य नही है कि रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस के पति/पिता के नाम दर्ज भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा किया है, क्योंकि अगर रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस के पति/पिता के नाम दर्ज भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा किया गया है तो आज तक रेस्पो0 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई और ना ही अपीलांटस द्वारा अपने कथनो के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वादपत्र के समर्थन मे साक्ष्य के तौर पर स्वयं का शपथ पत्र एवं अन्य पडौसी काश्तकार के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 49 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 12 से 17 मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार रेस्पो0 का विनिमय के आधार पर घोंषणा का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 20.05.2016 मे किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नही पाये जाने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पुष्टि किये जाने योग्य है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 100 / 2016 / 223 आर टी ए

1. धापी देवी पत्नि स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मनोहरलाल पुत्र स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. प्रवीणकुमार पुत्र स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. अमिता पुत्री स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजेश पुत्र स्व. हंसराज जाति सुथार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सुखोकौर पत्नि दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बीरबल सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजकौर पत्नि हरविन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी लखुवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा अनवानी सुखोकौर आदि बनाम धापीदेवी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री संजय चांडक अधिवक्ता अपीलांटस, श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 24.05.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official